न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 178 / 2023

उनवान

रामस्वरूप पुत्र हरदेव भील निवासी सुरली कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– मु. भारती पत्नी विकास बाबू मीणा पुत्री सत्यपाल मीणा निवासी रामपुरा बस्ती, शाहपुरा
2– मु. सुगनी पत्नी हरलाराम मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
3– मु. कमली पुत्री उगमा भील सुरली कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
4– गोरू पुत्र देवकरण भील सुरली कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
5– भीलू पुत्र उगमा भील सुरली कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
6– मु. मनभर पुत्री उगमा भील सुरली कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
7– मु. रूकमा पुत्री उगमा भील सुरली कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
8– रामा पुत्र उगमा भील सुरली कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
9– मु. प्रेम पुत्री खाना भील सुरली कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
10– राजू पुत्री खाना भील सुरली कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
11– शांतिलाल पुत्र खाना भील सुरली कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
12– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री नमन ओझा
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12/09/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **कल्याणपुरा पटवार हल्का कादीसहना** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 613 रकबा 0.1030 है0** कुल किता 1 रकबा 0.1030 हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1, 4, 8, 11, 12** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 2, 3, 5 लगायत 7, 9 10** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कादीसहना संवत 2074 से 2077 तक** का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **कल्याणपुरा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **1 रकबा 0.1030 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12/09/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा